

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

Email. nraigarh@gmail.com Website www.nagarnigamraigarh.com

Phone no. 07762-222911,

Fax no. 07762-222923

क्र.५५)..../रा.वि./न.पा.नि./2021

रायगढ़ दिनांक. २५/०५/२०२१

—: आफर दर आमंत्रण सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम, रायगढ़ द्वारा निम्नांकित स्थलों पर चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के पार्किंग संचालन हेतु 01 वर्ष के लिये ठेका पर दिया जाना है। इच्छुक व्यक्ति/संस्थान दिनांक 09.06.2021 समय 5.00 बजे तक कार्यालय में अपना ऑफर दर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त ऑफर दर दिनांक 10.06.21 को समय 4.00 तक कार्यालय में उपस्थित ऑफरदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। पार्किंग ठेका का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	स्थल का नाम	वाहन का प्रकार	प्रीमियम राशि	अमानत राशि
1	ईतवारी बाजार	चार पहिया	2,00,000 /—	20,000 /—
2	गांधी गंज	चार पहिया		
3	नगर पालिक निगम, कार्यालय	दो पहिया		
4	एस.पी.कार्यालय के बगल न्यू काम्पलेक्स के सामने	दो पहिया		

नियम व शर्तें:-

1. नगर निगम द्वारा जारी ऑफर प्रपत्र ही स्वीकार किया जावेगा।
2. एक लिफाफा में एक ही ऑफर प्रपत्र तथा अमानत राशि का चेक ऑफर प्रपत्र लिफाफा के साथ निर्धारित अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. नगर पालिक निगम, रायगढ़ के बकायादारों का ऑफर दर स्वीकार नहीं होगा।
4. किसी भी ऑफर को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़ के पास सुरक्षित होगा, इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जावेगा।
5. अन्य नियम एवं शर्तें ऑफर प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी तथा कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट www.nagarnigamraigarh.com पर अवलोकन एवं डाउनलोड की जा सकती है।

25/05/21

आयुक्त

नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

Email. nraigarh@ymail.com Website www.nagarnigamraigarh.com

Phone no. 07762-222911,


Fax no. 07762-222923

पृ.क्रमांक / (५.९) / रा.वि. / न.पा.नि. / 2021

रायगढ़ दिनांक २५/०५/२०२१

प्रतिलिपि:-

1. मान.महापौर / सभापति / नेता प्रतिपक्ष / राजस्व प्रभारी नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ ।
2. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ ।
3. कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ ।
4. कार्यालय अधीक्षक / लेखापाल नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ ।
5. सहा. जन संपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ ।
6. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।
7. कार्यालय के वेब साईट में अपलोड हेतु ।
8. संपादक को सूचनार्थ । उक्त ऑफर सूचना का प्रकाशन साईज में किया जाकर देयक समाचार पत्र की दो प्रतियों के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करें ।


25-05-21

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

Email. nraigarh@ymail.com Website www.nagarnigamraigarh.com

Phone no. 07762-222911,

Fax no. 07762-2229923

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छत्तीसगढ़)


क्रमांक/

/रा.वि./नपानि/2021

रायगढ़ दिनांक.....

॥ पार्किंग ठेका हेतु नियम व शर्त ॥

1. नगर निगम द्वारा जारी ऑफर प्रपत्र ही स्वीकार किया जावेगा।
2. एक लिफाफा में एक ही ऑफर प्रपत्र तथा अमानत राशि का चेक ऑफर प्रपत्र लिफाफा के साथ निर्धारित अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. नगर पालिक निगम, रायगढ़ के बकायादारों का ऑफर दर स्वीकार नहीं होगा।
4. किसी भी ऑफर को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़ के पास सुरक्षित होगा, इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जावेगा।
5. नगर निगम द्वारा पार्किंग शुल्क प्रति वाहन प्रतिदिन (अधिकतम 12 घंटा) हेतु:- चार पहिया 10/- रु. एवं दो पहिया 05/- रु. निर्धारित है उक्त दर पर ही ठेकेदार द्वारा पावती रसीद दे कर वाहन स्वामी से वसूल किया जाना होगा।
6. निगम द्वारा जारी रसीद ही मान्य होगा ठेकेदार द्वारा अन्य रसीद एवं निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लिये जाने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही किया जावेगी।
7. ठेकेदार को वाहनों का रख-रखाव की जिम्मेदारी होगी तथा चोरी या क्षति होने पर उसकी भरपाई स्वयं के द्वारा करना होगा।
8. ठेकेदार अपने अधिनस्त कर्मचारी रखेगा जिसका नगर निगम में व्यक्तिगत जानकारी प्रस्तुत करना होगा तथा निगम द्वारा संबंधित कर्मचारी को परिचय पत्र प्रदान किया जावेगा।
9. ऑफर में प्राप्त स्वीकृत अधिकतम राशि को ऑफरदाता को 25 प्रतिशत राशि 24 घंटे के अन्दर जमा करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि को 01 वर्ष के अन्दर तीन किस्तों में प्रति 04 माह के अन्तराल में जमा करना होगा अमानत राशि का समायोजन अंतिम किस्त में होगा राशि जमा नहीं करने पर ठेका निरस्त कर निगम द्वारा पुनः ठेका पर दिया जावेगा जिस पर ऑफरदाता को किसी प्रकार का आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।
10. प्रथम एवं द्वितीय ऑफरदाता का अमानत राशि रोककर शेष ऑफरदाताओं का डी.डी. वापिस किया जावेगा।
11. प्रथम उच्चतम ऑफरदाता द्वारा 25 प्रतिशत राशि जमा करने के पश्चात् ही द्वितीय बोलीदार/ऑफरदाता की अमानत राशि वापिस की जावेगी।
12. उच्चतम ऑफर स्वीकृति के पश्चात् ऑफरदाता स्वयं के व्यय से नियमानुसार निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करेगा।
13. किसी प्रकार का विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर निगम रायगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

 25.05.21

आयुक्त

रायगढ़ पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)